

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्मती कर की सूचना।

Memo No. : 1039789300724014416

Date : 30-07-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2024-2025

श्री/श्रीमती/सुश्री PRIYA KUMARI W/O NANDKISHOR SAH,

मोहल्ला PURANDAHA DEOGHAR

DEOGHAR, 814112

7903453419

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपको नया गृह सं० - 0120000786000M0 वार्ड सं० 12 हुआ है. आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	61.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		61.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्मती कर का 50% होगा। क्षतिग्रस्त दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पावे।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिबायट दी जाएगी।
- किसी टैक्स घृति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्वनिर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्वनिर्धारण स्व-घोषणा पत्र की स्थानीय जाच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य मिलात पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित श्राप्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इन सम्पत्ति कर इन इमरतों/वाहों को कोई कानूनी हेतियत प्रदान नहीं करता है और/या नहीं अपने पालिका / व्यवसाय को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये डोकेलिन नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print



ATTESTED
Notary Reg. No. 1039789300724014416
Govt. of Jharkhand
Dist. Deoghar, Jharkhand